स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित) 31.03.2016 को

डीएफ-1 : लागू करने का कार्यक्षेत्र

भारतीय स्टेट बैंक मूल कंपनी है, जिस पर बेसल-III मानदंड लागू होते हैं। इस समूह के समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट शामिल होते हैं।

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

क. समूह की उन इकाइयों की सूची, जिन्हें 31.03.2016 को समाप्त अवधि के लिए समेकित करने पर विचार किया गया

निम्नलिखित अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी बैंकों को शामिल कर भारतीय स्टेट बैंक समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं:

क्र.सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है, तो उसके कारण दें।
1	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
2	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
3	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
4	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
5	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
6	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
7	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
8	एसबीआई कैप वेंचर्स लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
9	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
10	एसबीआई कैप (यूके) लि.	यू.के.	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
11	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
12	एसबीआई डीएफएचआई लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
13	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
14	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
15	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
16	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र.सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है, तो उसके कारण दें।
17	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
18	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
19	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि.	मारीशस	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
20	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
21	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	यूएसए	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
22	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
23	कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को	रूस	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
24	एसबीआई (मारीशस) लि.	मारीशस	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
25	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
26	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
27	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.	बोत्सवाना	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
28	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा	ब्राजील	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
29	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
30	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	भारत	हां	एएस 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
31	सी-एड्ज टेक्नोलॉजीस लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
32	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
33	एसबीआई मैकेवेरी इन्फास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित) 31.03.2016 को

क्र.सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है, तो उसके कारण दें।
34	एसबीआई मैकेवेरी इन्फास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
35	मैकवेरी एसबीआई इन्फास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	सिंगापुर	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
36	मैकवेरी एसबीआई इन्फास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.	बरमुडा	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
37	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
38	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	भारत	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
39	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
40	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
41	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
42	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
43	मेघालय रूरल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
44	लांग्पी देहांगी रूरल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
45	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
46	मिज़ोरम रूरल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
47	नागालैंड रूरल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

क्र.सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है, तो उसके कारण दें।
48	पूर्वांचल बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
49	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
50	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
51	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
52	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
53	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: विनियामक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
54	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
55	कावेरी ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
56	मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
57	दि क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	भारत	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
58	बैंक ऑफ भूटान लि.	भूटान	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्था: नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

ख. समूह की उन संस्थाओं की दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार सूची, जिन्हें लेखा और नियंत्रक दोनों के समेकन में शामिल नहीं किया गया है

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ है	संस्था का प्रमुख कार्य-कलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	संस्था के पूंजीगत लिखतों में बैंक के निवेशों को नियंत्रक द्वारा मान्यता	कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
1	एसबीआई फाउंडेशन	भारत	लाभ के लिए कंपनी नहीं है, कारपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए है।	0.96	100 प्रतिशत	1250 प्रतिशत पर जोखिमभारिता	0.96 प्रतिशत
2	एसबीआई होम फाइनैंस लि.	भारत	परिसमापन के अधीन	लागू नहीं	25.05 प्रतिशत	पूरा प्रावधान उपलब्ध	लागू नहीं

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

ग. विनियामक समेकन में शामिल समूह की संस्थाओं की दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार सूची

समेकन के विनियामक क्षेत्र में शामिल की गई समूह की संस्थाओं की सूची निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में))

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)$	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
1	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	6,742.80	110,336.27
2	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	10,399.63	164,596.78
3	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	5,241.79	82,975.00
4	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	7,886.99	131,036.21
5	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	6,021.12	114,506.78
6	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	भारत	मर्चेंट बैंकिंग एवं परामर्शक सेवाएँ	1,078.65	1,189.28
7	एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि.	भारत	सिक्युरिटीज ब्रोकिंग और इसकी सहायक सेवाएँ तथा वित्तीय उत्पादों का अन्य पक्ष को वितरण	115.97	211.43
8	एसबीआईकैप वेंचर्स लि.	भारत	आस्ति प्रबंधन कंपनी वेंचर फंड के लिए	27.24	28.89
9	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लि.	भारत	कारपोरेट ट्रस्टीशिप कार्यकलाप	52.67	54.27
10	एसबीआईकैप (यूके) लि.	यू.के.	कारपोरेट वित्त व्यवस्था और सलाहकारी सेवाएँ	15.66	15.77

(₹ करोड़ में))

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है) $	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
11	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	व्यवसाय एवं प्रबंधन परामर्शी सेवाएँ	63.55	64.09
12	एसबीआई डीएफएचआई लि.	भारत	सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक डीलर	1,001.28	5,836.20
13	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	भुगतान समाधान सेवाएं	2.19	2.49
14	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	भारत	फैक्टरिंग कार्यकलाप	322.81	889.18
15	एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.	भारत	उन्हें आबंटित एन पी एस ट्रस्ट की आस्तियों का प्रबंधन	34.08	34.33
16	एसबीआई- एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	कस्टोडियल सेवाएँ और फंड अकाउंटिंग सेवाएँ	87.68	92.26
17	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज कंपनी प्रा. लि.	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए ट्रस्टीशिप सेवाएँ	20.78	20.80
18	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए आस्ति प्रबंधन सेवाएँ	630.91	782.11
19	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि.	मारीशस	निवेश प्रबंधन सेवाएँ	1.07	1.30
20	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	क्रेडिट कार्ड व्यवसाय	1,155.04	7,843.42
21	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	यूएसए	बैंकिंग सेवाएँ	754.98	4,365.62
22	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	बैंकिंग सेवाएँ	672.07	4,114.12
23	कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को	रूस	बैंकिंग सेवाएँ	174.65	631.20
24	एसबीआई (मारीशस) लि.	मारीशस	बैंकिंग सेवाएँ	1,247.82	7,158.78
25	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	बैंकिंग सेवाएँ	596.27	2,194.40
26	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	बैंकिंग सेवाएँ	394.52	4,505.23
27	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.	बोत्सवाना	बैंकिंग सेवाएँ	32.57	242.01
28	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा	ब्राजील	प्रतिनिधि कार्यालय सेवाएं	1.64	1.92

$ ईक्विटी कैपिटल और रिजर्व तथा आरक्षित निधि एवं अधिशेष (सरप्लस) शामिल हैं

(घ) सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि, जो विनियामक समेकन क्षेत्र में शामिल नहीं हैं अर्थात जो घटा दी गई हैं:

अनुषंगी का नाम/उस देश का नाम जिसमें निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूंजी की कमी
निरंक				

स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित) 31.03.2016 को

(ङ) बीमा संस्थाओं में बैंक के उन कुल हितों की सकल राशि (अर्थात वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम-भारित हैं :

बीमा संस्था का नाम/ उस देश का नाम जिसमें निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूर्ण कटौती पद्धति का उपयोग न करके जोखिम भार पद्धति का उपयोग करने पर नियंत्रक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
निरंक				

(च) बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या नियंत्रक पूंजी के अंतरण में कोई प्रतिबंध या बाधा : निरंक

डीएफ-2 पूंजी पर्याप्तता 31 मार्च 2016 का

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) वर्तमान एवं भविष्य की गतिविधियों के लिए अपनी पूंजी पर्याप्तता की स्थिति के आकलन की बैंक की पद्धति का संक्षिप्त विवेचन	■	भारतीय रिज़र्व बैंक की नई पूंजी पर्याप्तता संरचना (एनसीएएफ) संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक और उसकी बैंकिंग अनुषंगियां वार्षिक आधार पर आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) शुरू करती है। इस आईसीएएपी में पूंजी आयोजन प्रक्रिया का ब्योरा दिया जाता है और इसमें निम्नलिखित जोखिमों के मापन, निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, रिपोर्टिंग, पूंजी अपेक्षा और तनाव परीक्षण शामिल करते हुए मूल्यांकन किया जाता है।
		▶ ऋण जोखिम ▶ परिचालन जोखिम ▶ चलनिधि जोखिम ▶ अनुपालन जोखिम ▶ पेंशन निधि दायित्व जोखिम ▶ प्रतिष्ठा जोखिम ▶ ऋण जोखिम अल्पीकरण से छूट गए जोखिम ▶ निपटान जोखिम ▶ बाजार जोखिम ▶ ऋण केन्द्रीकरण जोखिम ▶ बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम ▶ देश जोखिम ▶ नव व्यवसाय जोखिम ▶ कार्यनीतिक जोखिम ▶ मॉडल जोखिम ▶ कन्टेजन जोखिम ▶ प्रतिभूतिकरण जोखिम
	■	भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उसके अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के पूर्वानुमानित निवेश एवं भारतीय स्टेट बैंक एवं उसकी सहयोगी अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों (देशीय एवं विदेशी) के अग्रिमों की पूर्वानुमानित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और 3 से 5 वर्ष की मध्यावधि में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए वार्षिक रूप में अथवा आवश्यकता के अनुसार अस्थिरता विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक समूह के लिए अलग-अलग किया जाता है।
	■	3 से 5 वर्ष की मध्यावधि के दौरान बैंक के एवं समूह के लिए संपूर्ण रूप में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) विनियामक द्वारा निर्धारित प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता अनुपात से अधिक रहने का अनुमान है। तथापि, पर्याप्त पूंजी बनाए रखने के लिए जब-जब जरूरत हो, ऋण लिखत के अतिरिक्त गौण ऋण और बेमीयादी ईक्विटी लिखतों के जरिए अपने पूंजीगत संसाधन बढ़ाने का विकल्प बैंक के पास होगा।
	■	आस्तियों की संवृद्धि के लिए पूंजी की आवश्यकता और विभिन्न स्थानीय विनियामक अपेक्षाओं और विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने हेतु अपेक्षित पूंजी का निर्धारण विदेशी अनुषंगियों के लिए पूंजी की कार्यनीतिक योजना में शामिल है। हर अनुषंगी की सीईटी 1/एटी1 और श्रेणी-2 पूंजी जुटाने की क्षमता के बारे में संतुष्टि कर लेने के बाद मूल बैंक पूंजी बढ़ाने की योजना का अनुमोदन करता है, ताकि पूंजी का स्तर बढ़ाने के साथ-साथ पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) बनाए रखने में सहायता मिल सके।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ख)	**ऋण जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता**	
	▶ मानक पद्धति के अनुसार पोर्टफोलियो	₹1,31,950.57 करोड़
	▶ निवेश का प्रतिभूतिकरण	शून्य
	कुल	₹1,31,950.57 करोड़
(ग)	**बाजार जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता**	
	▶ (मानक अवधि पद्धति)	
	• ब्याज दर जोखिम	₹ 7,620.98 करोड़
	• विदेशी मुद्रा जोखिम (जिसमें स्वर्ण शामिल है)	₹174.59 करोड़
	• इक्विटी जोखिम	₹3,460.35 करोड़
	कुल	₹11,255.92 करोड़
(घ)	**परिचालन जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता**	
	• मूल संकेतक पद्धति	₹14,928.04 करोड़
	• मानक पद्धति (यदि लागू हो)	
	कुल	₹14,928.04 करोड

(ङ) सामान्य ईक्विटी टियर 1, टियर 2 एवं कुल पूंजी अनुपाल:

दिनांक 31.03.2016 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात

		सीईटी 1 (%)	श्रेणी-1(%)	योग (%)
• शीर्ष समेकित समूह के लिए, तथा • बैंक की महत्वपूर्ण अनुषंगियों के लिए (एकल या उप-समेकित जो इस पर निर्भर है कि मानदंड किस प्रकार लागू किए जाते हैं)	एसबीआई समूह	9.67	9.87	12.92
	भारतीय स्टेट बैंक	9.81	9.92	13.12
	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	8.81	8.97	11.06
	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	8.90	9.27	11.62
	स्टेट बैंक आफ मैसूर	9.01	9.28	12.43
	स्टेट बैंक आफ पटियाला	8.12	8.32	11.50
	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	8.90	9.19	11.60
	एसबीआई (मारीशस) लि.	20.09	20.09	21.14
	एसबीआई कनाडा बैंक	17.76	17.76	20.47
	भारतीय स्टेट बैंक (केलिफोर्निया)	16.39	16.39	17.64
	कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को	34.37	34.37	34.37
	पीटी बैंक एसबीआई, इंडोनेशिया	40.24	40.24	40.24
	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	12.21	12.21	15.11
	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.	20.26	20.26	20.26

डीएफ-3 : ऋण जोखिम : सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण

पिछले बकायों और ह्रासित आस्तियों की परिभाषा (लेखाकरण के उद्देश्य से)

अनर्जक आस्तियां

कोई भी आस्ति ऐसी स्थिति में अनर्जक आस्ति बन जाती है, जब वह बैंक के लिए आय अर्जित करना बंद कर देती है। दिनांक 31 मार्च 2006 से ऐसे अग्रिमों को अनर्जक आस्ति (एनपीए) माना जाता है, जहां :

i. किसी मीयादी ऋण के ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है;

ii. कोई ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) खाता 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अनियमित' रहता है;

iii. खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहता है;

iv. अन्य प्रकार के खातों में प्राप्य राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है;

v. अल्प अवधि फसलों के लिए संस्वीकृत कोई ऋण तब एनपीए माना जाता है, जब मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसली मौसमों के लिए अतिदेय रहता है। दीर्घावधि फसलों के लिए तब एनपीए माना जाता है, जब मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहता है; और

vi. कोई खाता तभी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जब किसी तिमाही में लगाया गया ब्याज तिमाही की समाप्ति से 90 दिन के अंदर अदा न किया गया हो।

vii. प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के मामले में चलनिधि सुविधा की राशि प्रतिभूतिकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 1 फरवरी 2006 के दिशानिर्देशों के अनुसार 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है

viii. व्युत्पन्न लेनदेनों के मामले में ऐसी अतिदेय प्राप्य राशियां जो किसी व्युत्पन्न संविदा के बाजार मूल्य के सकारात्मक मार्क को बताती हैं, भुगतान हेतु देय तारीख से 90 दिनों के लिए अतिदेय होती हैं।

'अनियमित श्रेणी'

किसी खाते को उस स्थिति में 'अनियमित' माना जाता है, जब उसमें बकाया राशि निरंतर संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक रहे।

यदि किसी मूल परिचालन खाते में बकाया राशि संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम हो, किंतु बैंक के तुलन-पत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों तक कोई राशि जमा न की गई हो अथवा इस अवधि के दौरान लगाए गए ब्याज को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि जमा न की गई हो, तो ऐसे खाते को 'अनियमित' माना जाएगा।

'अतिदेय'

किसी ऋण सुविधा के तहत ऋणी द्वारा बैंक को देय कोई भी राशि तब 'अतिदेय' मानी जाती है, जब वह बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को अदा न की गई हो।

▶ बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा

बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन नीति विद्यमान है, जिसकी प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है। कुछ वर्षों से अवधारणाओं के जन्म लेने और प्राप्त अनुभवों से इस नीति और कार्यविधि में परिष्कार आया है। नीति एवं कार्य-विधियां बेसल-II और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई हैं।

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में ऋण जोखिम की पहचान, उसका निर्धारण, उसका मापन, जोखिम की निगरानी तथा उसका नियंत्रण शामिल है।
ऋण जोखिम की पहचान और निर्धारण में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं ;

i. प्रतिपक्ष जोखिम का निर्धारण करने के लिए ऋण जोखिम निर्धारण मॉडल/स्कोरिंग मॉडल तैयार और परिष्कृत करना। इसके लिए विभिन्न जोखिमों को ध्यान में रखा जाता है। इन जोखिमों को मोटे तौर पर वित्तीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और प्रबंधन जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हर एक का अलग-अलग स्कोर तैयार किया जाता है।

ii. औद्योगिक अनुसंधान करना, जिनसे बड़े/महत्वपूर्ण उद्योगों को संभालने के लिए मात्रात्मक जोखिम मापदंड निर्धारित किए और नीतिगत उपचार सुझाए जा सके। इसके लिए समय-समय पर उद्योगों/क्षेत्रों के लिए सामान्य दृष्टिकोण पर परामर्श दिया जाता है।

ऋण जोखिम के मापन में ऋण जोखिम के सभी घटकों यथा- चूक की संभावना, ऋण चुकौती में चूक करने पर हुई हानि और ऋण चुकौती में चूक करने से जुड़ी जोखिम आदि की गणना की जाती है।

ऋण जोखिम की निगरानी और नियंत्रण में जोखिम सीमाएँ निर्धारित करना शामिल है, जिससे एकल ऋणी, ऋणी समूह और उद्योगों को दिए गए ऋणों में समुचित विविधता लाया जा सके। बेहतर जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिम के संकेंद्रीकरण से बचने के लिए, व्यक्तिगत ऋणियों, ऋणी समूह कंपनियों, बैंकों, वैयक्तिक ऋणियों, गैर-कारपोरेट इकाइयों, पूंजी बाजार, भू-संपदा आदि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के विवेकपूर्ण जोखिम मानदंडों से संबंधित आंतरिक दिशा-निर्देश विद्यमान हैं। इकाइयों द्वारा ऋण जोखिम दबाव परीक्षण किए जाते हैं, जिससे जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके।

बैंक के पास एक ऐसी ऋण नीति भी है, जो सुनिश्चित करती है कि संविभाग के अंदर प्रत्येक आस्ति की गुणवत्ता में अनावश्यक ह्रास न हो। इसके साथ-साथ संविभाग स्तर पर आस्तियों की समग्र गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना भी इसका उद्देश्य है। इसके लिए लचीलापन एवं नवोन्मेषन के लिए काफी संभावना रखते हुए ऋण बेसिक्स, मूल्यांकन निपुणता, प्रलेखीकरण मानदंड एवं संस्थात्मक चिंताओं व कार्यनीतियों की जागरूकता संबंधी एकसमान दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

मूल्यांकन, कीमत-निर्धारण, ऋण अनुमोदन प्राधिकार, प्रलेखीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी, ऋण सुविधाओं की समीक्षा और नवीकरण, समस्याग्रस्त ऋणों का प्रबंधन, ऋण निगरानी आदि ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलू से संबंधित प्रक्रियाएँ और नियंत्रण बैंक में विद्यमान हैं। ऋण लेखा-परीक्षा प्रणाली भी बैंक में मौजूद है। दस करोड़ रुपए और इससे अधिक की जोखिम वाले वाणिज्यिक ऋण संविभाग की गुणवत्ता को निरंतर उन्नत बनाना इस प्रणाली का लक्ष्य है। ऋण लेखा-परीक्षा में ऋण मंजूरी के विभिन्न स्तरों पर किए गए निर्णयों की लेखा-परीक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा प्रणाली के अंतर्गत मंजूरी पूर्व की प्रक्रियाओं और मंजूरी के बाद की स्थिति दोनों की लेखा-परीक्षा की जाती है। ऋण लेखापरीक्षा चयनित जोखिमों की जांच करती है और जोखिम कम करने के उपाय भी सुझाती है।

डीएफ-3 : 31 मार्च 2016 तक का मात्रात्मक प्रकटीकरण (बीमा संस्थाएं, संयुक्त उद्यम एवं गैर-वित्तीय संस्थाएं शामिल नहीं हैं)

सामान्य प्रकटीकरण :		**राशि करोड़ रुपये में**	
मात्रात्मक प्रकटीकरण	**निधि आधारित**	**गैर-निधि आधारित**	**योग**
(ख) ऋण जोखिम की कुल राशि	1928714.97	467472.30	2396187.27
(ग) जोखिम राशि का भौगोलिक संवितरण : निधि आधारित/गैर-निधि आधारित			
विदेशी	280212.88	39797.83	320010.71
देशीय	1648502.09	427674.47	2076176.56
(घ) जोखिम राशि का उद्योग के प्रकार के अनुसार वितरण		कृपया तालिका 'क' देखे	
निधि आधारित/गैर-निधि आधारित अलग-अलग		कृपया तालिका 'ख' देखे	
(ड.) आस्तियों का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण			
(च) अनर्जक आस्तियों की राशि (कुल) अर्थात (I से iv का योग)			123463.87
i. अवमानक			38661.95
ii. संदिग्ध 1			40330.01
iii संदिग्ध 2			32513.19
iv. संदिग्ध 3			8988.19
v. हानिप्रद			2970.53
(छ) निवल अनर्जक आस्तियां			69809.03
(ज) अनर्जक आस्ति अनुपात			
i) सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां			6.40
ii) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां			3.73
(झ) अनर्जक आस्तियों में वृद्धि-कमी (कुल)			
i) प्रारंभिक शेष			74613.37
ii) वृद्धि			91899.40
iii) कमी			43048.90

स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित) 31.03.2016 को

सामान्य प्रकटीकरण :		राशि करोड़ रुपये में	
मात्रात्मक प्रकटीकरण	**निधि आधारित**	**गैर-निधि आधारित**	**योग**
iv) अंतिम शेष			123463.87
(ञ) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में वृद्धि-कमी			
i) प्रारंभिक शेष			36812.67
ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			36859.34
iii) अपलेखन			20001.37
iv) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			15.80
v) अंतिम शेष			53654.84
(ट) अपलेखन एवं वसूलियाँ जो आय मे सीधे बुक की गई हैं।			668.85
(ठ) अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि			372.24
(ड) निवेशों के मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में वृद्धि-कमी			
i) प्रारंभिक शेष			678.28
ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			801.76
iii) जोड़ें : विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यन समायोजन			0.00
iv) अपलेखन			335.98
v) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			448.42
vi) अंतिम शेष			695.64
(च) प्रमुख उद्योग अथवा प्रति पक्ष प्रकार द्वारा			
(i) अलाभकारी आस्ति की राशि, यदि संभव हो तो अलग से दिए गए पिछले बकाया ऋण			70423.13
(ii) विशिष्ट एवं सामान्य प्रावधान एवं			6237.98
(iii) वर्तमान अवधि के दौरान विशिष्ट प्रावधान एवं बट्टे खाते में डाली गई राशि			1156.17
(छ) विशिष्ट एवं सामान्य प्रावधान सहित महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों द्वारा अलग से दिए गए पिछले बकाया ऋण एवं अलाभकारी आस्ति की राशि			66439.66
प्रावधान			3992.12

तालिका-क : डीएफ-3 (घ) दिनांक 31.03.2016 को एक्सपोजर का औद्योगिक वितरण

(राशि करोड़ रुपये में)

कोड	**उद्योग**	**निधि आधारित (शेष राशियां)**			**गैर-निधि आधारित (शेष राशियां)**
		मानक	**अनर्जक**	**कुल**	
1	कोयला	2,993.74	1,425.07	4,418.81	3023.83
2	खदान	8,288.48	630.58	8,919.06	2930.15
3	लोह एवं इस्पात	111,655.25	22,696.56	134,351.81	29781.90
4	धातु उत्पाद	47,772.99	2,271.14	50,044.13	10395.09
5	सभी अभियांत्रिकी	38,619.06	5,574.56	44,193.62	75732.29
5.1	जिसमें से इलेक्ट्रानिक	10,358.59	768.34	11,126.93	8778.68
6	बिजली	35,722.05	243.16	35,965.21	1012.85
7	सूती वस्त्र	30,021.99	4,818.55	34,840.54	5333.42
8	जूट वस्त्र	453.60	55.41	509.01	65.68
9	अन्य वस्त्र	26,233.58	3,409.26	29,642.84	3034.36
10	चीनी	9,603.16	687.69	10,290.85	950.71
11	चाय	748.79	119.21	868.00	25.86

कोड	उद्योग	निधि आधारित (शेष राशियां)			गैर-निधि आधारित (शेष राशियां)
		मानक	अनर्जक	कुल	
12	खाद्य प्रसंस्करण	34,179.36	5,542.92	39,722.28	2787.13
13	वनस्पति तेल एवं वनस्पति	5,226.36	1,279.86	6,506.22	6072.66
14	तंबाकू/तंबाकू उत्पाद	654.92	11.80	666.72	282.51
15	कागज/कागज उत्पाद	5,150.95	1,095.82	6,246.77	881.08
16	रबड़/रबड़ उत्पाद	4,742.98	216.69	4,959.67	1531.27
17	रसायन/रंग/रोगन आदि	73,770.59	4,989.82	78,760.41	41907.45
17.1	जिसमें उर्वरक	12,141.75	52.94	12,194.69	5368.80
17.2	जिसमें पेट्रोरसायन	40,471.74	1,262.89	41,734.63	31090.07
17.3	जिसमें दवाइयां एवं औषधियाँ	9,425.59	2,755.23	12,180.82	1727.95
18	सीमेंट	8,481.33	701.30	9,182.63	2572.11
19	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	2,499.98	82.80	2,582.78	474.68
20	रत्न एवं आभूषण	12,952.88	2,070.69	15,023.57	2666.88
21	निर्माण	20,512.05	525.59	21,037.64	4242.96
22	पेट्रोलियम	49,734.19	1,137.65	50,871.84	18499.59
23	आटोमोबाइल एवं ट्रक	14,884.47	215.08	15,099.55	6294.37
24	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3,446.40	587.55	4,033.95	7756.05
25	आधारिक संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर)	282,530.90	15,029.26	297,560.16	93883.74
251	जिसमें बिजली	166,194.82	3,955.23	170,150.05	25257.43
252	जिसमें दूरसंचार	27,331.64	559.77	27,891.41	23055.29
253	जिसमें मार्ग एवं बंदरगाह	30,930.20	4,325.25	35,255.45	16760.64
26	अन्य उद्योग	161,367.04	12,756.97	174,124.01	53553.99
27	एनबीएफसी एवं शेयरों की खरीद-फरोख्त	196,674.59	9,836.64	206,511.23	55342.57
28	शेष अग्रिम	616,284.17	25,452.24	641,736.41	36437.10
	योग	**1,805,251.10**	**123,463.87**	**1,928,714.97**	**467472.30**

तालिका - ख डीएफ-3 (ङ) भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) 31.03.2016* की स्थिति के अनुसार शेष आस्तियों का संविदागत परिपक्वता विवरण

(₹ करोड़ में)

	अंतर्वाह	1-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक	कुल
1	नकदी	17523.37	0.26	0.51	4.31	13.48	3.33	8.56	0.00	0.00	**17553.82**
2	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाशेष	49578.49	1560.35	1274.22	1473.10	4019.48	16000.99	26830.35	10586.70	31313.87	**142637.55**
3	अन्य बैंकों के पास जमाशेष	33167.99	1489.13	1287.49	1998.97	2210.45	911.19	3372.93	0.00	22.79	**44460.94**
4	निवेश	18283.22	3415.59	11068.11	11336.81	18350.74	29471.97	111843.44	78544.10	356023.26	**638337.24**
5	अग्रिम	115536.72	28229.30	56659.84	60484.72	66958.22	100337.69	853996.62	221617.79	369721.41	**1873542.31**
6	अचल आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.29	11.66	43.37	14639.00	**14709.32**
7	अन्य आस्तियां	52308.05	9174.29	3044.28	7356.72	8864.14	9917.15	9526.63	8304.25	63050.62	**171546.13**
	कुल	**286397.84**	**43868.92**	**73334.45**	**82654.63**	**100416.51**	**156657.61**	**1005590.19**	**319096.21**	**834770.95**	**2902787.31**

टिप्पणियां*

i) बीमा संस्थाएँ, गैर-वित्तीय संस्थाएँ, संयुक्त उद्यम, विशेष प्रयोजन माध्यम एवं अंत:-समूह समायोजन शामिल नहीं किए गए हैं।

ii) निवेशों में अलाभकारी निवेश एवं अग्रिमों में अलाभकारी अग्रिम शामिल हैं।

iii) 23 मार्च 2016 के भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर समूहन संरचना (बकेटिंग) को संशोधित किया गया है।

डीएफ-4 : ऋण जोखिम : मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत संविभागों का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) मानकीकृत पद्धिति के अंतर्गत आने वाले संविभाग के लिए

- **प्रयुक्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम, साथ में यदि कोई परिवर्तन हुए हों तो उनके कारण भी**

  भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक ने देशीय और विदेशी ऋण जोखिमों की रेटिंग के लिए क्रमशः केयर, क्रिसिल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग, एसएमईआरए और ब्रिकवर्क (देशीय ऋण रेटिंग एजेंसियों) तथा फिच, मूडीज एवं एसएंडपी (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों) का अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों के रूप में चयन किया है, जिनकी रेटिंगों का जोखिम भारित आस्तियों तथा पूंजी ऋण भार के परिकलन के लिए प्रयोग किया जाता है।

- **ऋण जोखिम के प्रकार, जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी उपयोग में लाई गई**

  (i) एक वर्ष से कम या एक वर्ष के बराबर की संविदात्मक परिपक्वता वाले ऋण जोखिम हेतु (कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों को छोड़कर), अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई अल्पावधि रेटिंग उपयोग में लाई गई।

  (ii) देशीय कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों (अवधि का विचार किए बिना) के लिए और 1 वर्ष से अधिक के मीयादी ऋण निवेश हेतु, लांग टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।

- **बैंकिंग बही में तुलना योग्य आस्तियों के अंतरण हेतु पब्लिक इश्यू रेटिंगों को उपयोग में लाई गई प्रक्रिया का विवरण**

  बैंक की बाह्य श्रेणीकरण एप्लिकेशन ढांचे के प्रमुख पहलू निम्नानुसार हैं:

  - ऋण श्रेणीकरण एजेंसियों द्वारा विशेष रूप से बैंक के दीर्घावधि एवं अल्पावधि ऋणों के लिए दी गई सभी दीघावधि एवं अल्पावधि श्रेणियों को बैंक द्वारा इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग माना जाता है।
  - विदेशी सॉवरिन एवं विदेशी बैंक ऋण निर्गमकर्ता द्वारा उन्हें दी गई श्रेणी के आधार पर जोखिम भारित होते हैं।
  - बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सुविधा/उधारकर्ता की बाह्य श्रेणी की पिछले 15 महीनों की अवधि में कम से कम एक बार ईसीएआई द्वारा समीक्षा की जाती है और यह इसे लगाए जाने की तारीख को चालू है।
  - जहां कई ऋण श्रेणी ऐजेंसियों द्वारा एक ही संस्था को बहुविध जारीकर्ता श्रेणियां दी जाती हैं, तो इस संबंध में जहां किसी सुविधा के लिए दो श्रेणियां दी गई हों, तो वहां कम श्रेणी, और जहां तीन अथवा उससे अधिक श्रेणियां दी गई हों, तो दूसरी कम श्रेणी का इस्तेमाल किया जाता है।

  निम्नलिखित मामलों में उसी ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष के अन्य अनरेटिड एकस्पोजरों के लिए लांग टर्म इश्यू स्पेशिफिक रेटिंग्ज (बैंक के स्वयं के ऋण जोखिमों या उसी ऋणी ग्राहक/प्रतिपक्ष द्वारा जारी किए गए अन्य ऋण) अथवा जारीकर्ता (ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष) रेटिंग उपयोग में लाई गई।

  - इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग या जोखिम भार की तुलना में जारीकर्ता रेटिंग मैप यदि अनरेटिड एक्सपोजरों के समतुल्य या अधिक है, तो उसी प्रतिपक्ष के किसी अन्य अनरेटिड ऋण जोखिम के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रेटिंग और यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से रेटिड ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे कम हो, तो वही जोखिम भार लागू किया गया।
  - उन मामलों में जहां ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष ने कोई ऋण जारी किया है (जो बैंक से उधारी नहीं है), यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से कतिपय रेटिंग वाले ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे अधिक थी और बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर की परिपक्वता रेटिड डैट की परिपक्वता के बाद की नहीं थी, तो उस ऋण को दी गई रेटिंग बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर के लिए उपयोग में लाई गई।

31.03.2016 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि करोड़ रुपये में)

ख)	जोखिम कम करने के पश्चात मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण निवेश हेतु प्रत्येक जोखिम वर्ग के अंतर्गत बैंक की बकाया (श्रेणीबद्ध एवं अश्रेणीबद्ध) राशियों के अलावा अन्य घटाई गई राशियां	
	100% से कम जोखिम भार : ₹	1512863.16
	100% जोखिम भार : ₹	560379.61
	100% से अधिक जोखिम भार : ₹	320061.05
	घटाई गई ₹	2883.45
	कुल ₹	**2396187.27**

डीएफ-5 ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) निम्नलिखित सहित ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में सामान्य मात्रात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा

▶ **तुलन पत्र में शामिल और शामिल न की गई निवलीकरण नीतियाँ और प्रक्रियाएँ और बैंक इनका किस सीमा तक उपयोग करता है**

तुलन-पत्र की निवलीकरण जोखिम मदें ऐसे ऋणों/अग्रिमों और जमाराशियों तक सीमित रहती है, जिनके लिए बैंक के पास प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार, दस्तावेजी प्रमाण सहित विशिष्ट ग्रहणाधिकार है। बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन निवल ऋण जोखिम के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है ;

जहां बैंक,

क. के पास यह निर्णय लेने का ठोस कानूनी आधार है कि वह निवल राशि की वसूली/समायोजन करार को प्रत्येक अधिकार क्षेत्र में लागू कर सकता है, भले ही प्रतिपक्ष दिवालिया क्यों न हो;

ख. किसी भी समय उसी प्रतिपक्ष के ऋण/अग्रिम तथा जमाराशियों का निवल वसूली का निर्धारण करार के अनुसार कर सकता है; तथा

ग. निवलीकरण के आधार पर संबंधित जोखिमों की निगरानी तथा नियंत्रण करता है, वह अपनी पूंजी पर्याप्तता के आकलन के आधार के रूप में ऋणों/अग्रिमों तथा जमा-राशियों का निवल जोखिम के रूप में प्रयोग कर सकता है। ऋण/अग्रिम को जोखिम तथा जमाराशियों को संपार्श्विक माना गया है।

▶ **संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं**

बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन के लिए एकीकृत नीति विद्यमान है, जिसकी प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है। ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन, पूंजी-परिकलन के लिए प्रयुक्त ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के प्रति बैंक के दृष्टिकोण को इस नीति के भाग ख में स्पष्ट किया गया है।

इस नीति का उद्देश्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का इस ढंग से वर्गीकरण और मूल्यांकन करना है कि उनके प्रकटीकरण के लिए नियामक पूंजी समायोजन किया जा सके।

इस नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे ऋण जोखिम के लिए समुचित रूप से प्रति संतुलन करने के पश्चात संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य के समान ऋण जोखिम राशि कारगर ढंग से घटाकर संपार्श्विक प्रतिभूति का पूर्ण रूप से समायोजन किया जा सकता है। इस नीति में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान दिया गया है ;

(i) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का वर्गीकरण
(ii) स्वीकार्य जोखिम न्यूनीकरण तकनीक
(iii) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के लिए प्रलेखीकरण और विधिक प्रक्रिया
(iv) संपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्यांकन
(v) मार्जिन और संतुलन अपेक्षाएं
(vi) संपार्श्विक प्रतिभूति की अभिरक्षा
(vii) बीमा
(viii) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों की निगरानी
(ix) सामान्य दिशा-निर्देश

▶ **बैंक द्वारा मुख्यतया जिस प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियां ली गई हैं, उनका ब्यौरा**

मानकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत सामान्यतया निम्नलिखित संपार्श्विक प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के रूप में मान्यता प्राप्त है:

- नकदी या नकदी समतुल्य (बैंक जमाराशियां/एनएससी/किसान विकास पत्र/एलआईसी पॉलिसी आदि)
- स्वर्ण
- केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां
- ऐसी ऋण प्रतिभूतियां, जिन्हें अल्पावधि ऋण लिखतों के लिए बीबीबी या बेहतर/पीआर3/पी3/एफ3/ए3 रेटिंग प्राप्त है

म्यूचुअल फंड इकाइयों का विनियमन प्रतिभूति विनियामक द्वारा किया जाता है।

▶ **मुख्यतया जिस प्रकार के प्रतिपक्षीय गारंटीकर्ता स्वीकार किए जाते हैं, उनका ब्योरा और उनकी ऋण-पात्रता**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बैंक निम्नलिखित संस्थाओं को पात्र गारंटीकर्ताओं के रूप में स्वीकार करती है :

- सरकार, सरकारी संस्थाएं (बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (बीआईएस) सहित), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), यूरोपीय केंद्रीय बैंक और यूरोपीय समुदाय तथा बहुपक्षीय विकास बैंक, निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइजेस (सीजीटीएमएसई), सरकारी उपक्रम, बैंक और प्राथमिक व्यापारी (प्राइमरी डीलर) जिनका जोखिम भार प्रतिपक्ष की तुलना में कम हो।

- अन्य गारंटीकर्ता जिनकी बाह्य रेटिंग एए या उससे बेहतर हो। यदि गारंटीकर्ता कोई मूल, संबद्ध कंपनी या अनुषंगी हो, तो उनका जोखिम भार बाध्यताधारी (आब्लिगर) के जोखिम भार से कम होना चाहिए, ताकि बैंक द्वारा गारंटी को स्वीकार किया जा सके। गारंटीकर्ता की रेटिंग उस संस्था की रेटिंग के बराबर होनी चाहिए, जिसकी उस संस्था की सभी देयताओं और बाध्यताओं में (गारंटियों सहित) हिस्सेदारी है।

▶ **जोखिम न्यूनीकरण मदों के भीतर अधिक जोखिम वाले (बाजार या ऋणों) के बारे में जानकारी:**

बैंक का आस्ति-संविभाग भलीभांति विविधीकृत है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियां प्राप्त की गई हैं, यथा :-

- ऊपर सूचीबद्ध पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियां
- सरकार और अच्छी रेटिंग कंपनियों द्वारा दी गई गारंटियां
- प्रतिपक्ष की अचल आस्तियां और चालू आस्तियां

31 मार्च 2016 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

		(राशि करोड़ रुपये में)
(ख)	अलग से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल ऋण जोखिम (जहां लागू हो, तुलन-पत्र में शामिल या न शामिल ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात) वह होती है, जो कटौतियां लागू करने के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित है।	252267.31
(ग)	अलग से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल ऋण जोखिम (तुलन-पत्र में शामिल या न शामिल ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात, जहां लागू है) वह होती है, जो गारंटियों/ऋण व्युत्पन्नों द्वारा सुरक्षित किया गया है। (जहां कहीं भी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमत हो)	24660.19

डीएफ-6 : प्रतिभूतिकरण जोखिम : मानकीकृत पद्धति संबंधी प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) प्रतिभूतिकरण के गुणात्मक प्रकटीकरण की सामान्य अपेक्षा, जिसमें उसका विवेचन भी शामिल है :	
प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के संबंध में बैंक के लक्ष्य। साथ ही वह सीमा, जहां तक ये गतिविधियां प्रतिभूतिकृत ऋणों की अंतर्निहित जोखिम को बैंक से दूर अन्य संस्थाओं को अंतरित करती हैं।	निरंक
प्रतिभूतिकृत आस्तियों में अंतर्निहित अन्य जोखिमों (जैसे नकदी जोखिम) का स्वरूप।	लागू नहीं
प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में बैंक द्वारा अदा की गई विभिन्न प्रकार की भूमिकाएँ (उदाहरणार्थ प्रवर्तक, निवेशक, सेवा-प्रदाता, ऋण वृद्धि प्रदाता, चलनिधि प्रदाता, विनिमय प्रदाता@, संरक्षण प्रदाता#) और उनमें से प्रत्येक में बैंक की संबद्धता की सीमा;	
@ नियामक के नियमों के अंतर्गत अनुमत होने पर बैंक द्वारा संबंधित आस्तियों के ब्याज दर/करेंसी संबंधी जोखिम को कम करने के लिए ब्याज दर अदला-बदली अथवा करेंसी अदला-बदली के रूप में प्रतिभूतिकरण संरचना में सहायता उपलब्ध कराई हो सकती है,	
# नियामक के नियमों के अंतर्गत अनुमत होने पर गारंटियों, ऋण डेरीवेटिव्स या ऐसे ही किसी अन्य उत्पाद के जरिए बैंक किसी प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए ऋण सुरक्षा प्रदान कर सकता है।	लागू नहीं
प्रतिभूतिकरण निवेशों के ऋण और बाजार जोखिमों में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी के लिए उपलब्ध प्रक्रियाओं का वर्णन (उदाहरण के लिए एनसीएएफ पर 1 जुलाई 2012 के मास्टर सर्कुलर के पैरा 5.16.1 में बताए गए अनुसार संबंधित आस्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव का प्रतिभूति निवेशों पर कैसा प्रभाव पड़ता है।)	लागू नहीं
प्रतिभूतिकरण निवेशों में बरकरार जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण पद्धतियों के उपयोग से संबंधित बैंक की नीति का वर्णन;	लागू नहीं
(ख) प्रतिभूतिकरण गतिविधियों पर बैंक की लेखांकन नीतियों का सारांश, जिसमें निम्नलिखित शामिल है :	
क्या लेनदेन को बिक्री या वित्तपोषण माना गया है ;	लागू नहीं

	प्रतिभूतिकरण की स्थिति को यथावत बनाए रखने या नई खरीद का मूल्यांकन करने में लागू की गई पद्धतियां और प्रमुख पूर्वानुमान (जानकारियों सहित)	लागू नहीं
	पिछली अवधि से पद्धतियों और प्रमुख धारणाओं में हुए परिवर्तन और परिवर्तनों का प्रभाव	लागू नहीं
	तुलनपत्र की देयताओं को उन व्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए अपनाई गई नीतियां, जिनके अंतर्गत प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना बैंक के लिए आवश्यक हो सकता है।	लागू नहीं
(ग)	बैंक के लेखों में प्रतिभूतिकरण के लिए किन ईसीएआई का उपयोग किया गया है और प्रत्येक एजेंसी का किस प्रकार के प्रतिभूतिकरण जोखिम के लिए उपयोग किया गया।	लागू नहीं
	मात्रात्मक प्रकटन : बैंकिंग बही	
(घ)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि	निरंक
(ङ)	ऋण जोखिमों से बचाव के लिए किए गए प्रतिभूतिकरण से चालू अवधि के दौरान हुई किन हानियों को बैंक द्वारा लेखों में शामिल किया गया है। प्रत्येक ऋण जोखिम का अलग-अलग (जैसे क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण आदि का संबंधित प्रतिभूति सहित विस्तृत ब्योरा) विवरण दें।	निरंक
(च)	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की राशि	निरंक
(छ)	(च) में से प्रतिभूतिकरण से पूर्व एक वर्ष के अंदर प्रवर्तित आस्तियों की राशि	लागू नहीं
(ज)	प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार) और उस ऋण की बिक्री से हुए ऐसे लाभ या हानियां, जिन्हें लेखों में शामिल नहीं किया गया है।	निरंक
(झ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	तुलन-पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों, जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है, का ऋण के स्वरूप सहित विवरण	निरंक
	तुलन-पत्र में न शामिल प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके प्रकार के अनुसार विवरण	निरंक
(ञ)	यथावत बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों और उनसे संबंधित पूंजी खर्चों की कुल राशि। राशि ऋण जोखिमवार अलग-अलग दिखाई जाए और नियामक द्वारा अलग-अलग ऋण जोखिमों के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के अनुरूप उनके अलग-अलग जोखिम भार का भी उल्लेख करें।	निरंक
	ऐसे ऋण जोखिम, जिन्हें टियर I पूंजी में से पूर्णतया घटा दिया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण संवर्धन आई/ओ तथा कुल पूंजी से (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार) घटाए गए अन्य ऋण जोखिम	लागू नहीं
	मात्रात्मक प्रकटन : क्रय-विक्रय वही	
(ट)	बैंक द्वारा प्रतिभूत उन जोखिमों की कुल राशि जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिम यथावत् बनाए रखा है और जिसका बाजार जोखिम पद्धति के अनुसार आकलन किया जाना है। ऋण जोखिम के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ठ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	तुलन-पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के प्रकार सहित अलग-अलग विवरण, जिन्हें यथावत बनाए रखा गया गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
	तुलन-पत्र में शामिल नहीं किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके प्रकार के अनुसार अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ड)	**उन प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों की कुल राशि, जो निम्नलिखित के लिए यथावत बनाई रखी गईं या खरीद गईं:**	
	विशिष्ट जोखिम को देखते हुए व्यापक जोखिम उपयोग के अंतर्गत यथावत बनाए रखे गए या नए खरीदे गए प्रतिभूतिकरण जोखिम, और	निरंक
	विशिष्ट जोखिम जिसे अलग-अलग जोखिम भार बांड में विभाजित किया गया है, के प्रतिभूतिकरण ढांचे के अध्यधीन प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम	निरंक
(ढ)	**निम्नलिखित की कुल राशि :**	
	प्रतिभूतिकरण ढाँचे जिसे अलग अलग जोखिम भार बांड में विभाजित किया गया है, के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम की पूंजीगत आवश्यकताएं	निरंक
	ऐसे ऋण जोखिम, जिन्हें टियर I पूंजी में से पूर्णतया घटा दिया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण संवर्धन आई/ओ तथा कुल पूंजी से (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार) घटाए गए अन्य ऋण जोखिम	निरंक

डीएफ-7 व्यापार बही में बाजार जोखिम

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण :

(1) बाजार जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता की गणना हेतु मानकीकृत अवधि पद्धति के अंतर्गत निम्नलिखित संविभाग सम्मिलित हैं:

- 'व्यापार के लिए रखी गई' और 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली प्रतिभूतियां।
- 'व्यापार के लिए रखी गई' श्रेणी वाली विदेशी मुद्रा और 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी वाले म्यूचुअल फंड
- समस्त डिरेव्हिटिव स्थितियाँ, उन डिरेव्हिटिव को छोड़कर जो बैंकिंग बहियों के बचाव के लिए उपयोग किए जाते हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक की अनिवार्यता के अनुसार बचाव प्रभाविता परीक्षण पर खरे उतरते हैं।

2) बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित अभिशासन संरचना के अनुसार बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग के एक भाग के रूप में बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) कार्य कर रहा है।

3) बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग राजकोष परिचालनों से संबद्ध बाजार जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी है।

4) प्रत्येक आस्ति वर्ग के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुस्पष्ट बाजार जोखिम प्रबंधन मानदंडों सहित निम्नलिखित नीतियों को लागू किया गया है :

क) बाजार जोखिम प्रबंधन नीति
ख) बाजार जोखिम सीमाओं की समीक्षा (व्यापार बही)
ग) निवेश नीति
घ) ब्याज दर प्रतिभूतियों एवं ईक्विटी में व्यापार के लिए नीति
ड) डेरीवेटिव्स व्यापार नीति
च) विदेशी मुद्रा व्यापार नीति
छ) जोखिम मूल्य नीति
ज) दबाव परीक्षण नीति
झ) मॉडल प्रमाणीकरण नीति
ञ) मूल्यांकन नीति

5) जोखिम निगरानी एक सतत प्रक्रिया है और इसमें जोखिम प्रोफाइलों का विश्लेषण किया जाता है तथा उनकी सूचना बाजार जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और शीर्ष प्रबंधन को नियमित अंतराल पर दी जाती है।

6) जोखिम प्रबंधन और उसकी रिपोर्टिंग सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार आशोधित अवधि, पीवी 01, ऑप्शन ग्रीक, अधिकतम अनुमत जोखिम, जोखिम मूल्य, संकेंद्रित जोखिम सीमाएं, कट लॉस ट्रिगर एवं मैनेजमेंट एक्शन ट्रिगर जैसे मानदंडों के आधार पर की जाती है।

7) बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित फॉरेक्स ओपन पोजीशन सीमा (दिन/रात), हानि नियंत्रण सीमा, सकल अंतराल सीमा, वैयक्तिक अंतराल सीमा की निगरानी की जाती है और कोई अपवाद हो तो बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की बाजार जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट किए जाते हैं।

8) मूल्य जोखिम की गणना प्रतिदिन की जाती है। मूल्य जोखिम का पश्च-परीक्षण प्रतिदिन किया जाता है। मूल्य जोखिम के अनुपूरक के रूप में दबाव परीक्षण तिमाही अंतराल पर किया जाता है। इनके परिणाम बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की बाजार जोखिम प्रबंधन समिति को सूचित किए जाते हैं।

9) विदेश स्थित कार्यालय अपने देश के स्थानीय विनियामक की अपेक्षाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारणों के अनुसार अपने निवेश संविभाग की जोखिम निगरानी करते हैं। कतिपय संविभागों के किसी एक विनिधान के लिए हानि नियंत्रण सीमा और जोखिम सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

10) बाजार जोखिम के पूंजी प्रभार की गणना के लिए बैंक ने आंतरिक मॉडल पद्धति के नाम से उन्नत पद्धति अपनाने का निर्णय किया है और इस बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक को आशय पत्र प्रस्तुत किया है।

(ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण
बाजार जोख़िम के लिए पूंजी प्रभार

मानक माप पद्धति के अंतर्गत बैंक बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार निम्नानुसार बनाए रखता है:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2016
ब्याज दर जोखिम (डेरीवेटिव्स सहित)	7620.98
इक्विटी स्थिति जोखिम	3460.35
विदेशी विनिमय जोखिम	174.59
कुल	**11255.92**

डीएफ-8 : परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन

- परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग भारतीय स्टेट बैंक के साथ-साथ उसके प्रत्येक सहयोगी बैंक में कार्यरत है, जो परिचालन जोखिम अभिशासन के समन्वित तंत्र का ही हिस्सा है और यह अपने-अपने मुख्य जोखिम अधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करता है। मुख्य जोखिम अधिकारी प्रबंध निदेशक (अनुपालन एवं जोखिम) को रिपोर्ट करते हैं।
- समूह की अन्य इकाइयों में परिचालन जोखिम संबंधी मुद्दों का निपटान व्यवसाय मॉडल की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित इकाइयों के मुख्य जोखिम अधिकारियों के समग्र नियंत्रण में किया जा रहा है।

ख. परिचालन जोखिम को नियंत्रित और कम करने संबंधी नीतियां

देशीय बैंकिंग संस्थाएँ (भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंक)

भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में निम्नलिखित नीतियां, संरचना प्रलेख एवं मैनुअल लागू हैं :

नीतियाँ एवं संरचना प्रलेख

- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति बैंक में लागू है, जिसका उद्देश्य परिचालन जोखिमों की व्यवस्थित एवं समय रहते पहचान, आकलन, मापन, निगरानी, न्यूनीकरण एवं रिपोर्ट करने हेतु स्पष्ट एवं ठोस परिचालन जोखिम प्रबंधन तंत्र की स्थापना करना है,
- आँकड़ा नुकसान प्रबंधन
- बाहरी नुकसान आँकड़ा प्रबंधन नीति
- सूचना सुरक्षा (आई एस) नीति
- सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) नीति
- व्यवसाय निरंतरता योजना संबंधी नीति (बीसीपी)
- व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली नीति (बीसीएमएस)
- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों संबंधी नीति और धन शोधन निवारक (एएमएल)/आतंकवाद वित्तीयन निवारक उपाय नीति
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति
- बैंक की आउटसोर्सिंग नीति
- बीमा नीति
- परिचालन जोखिम निर्वहन क्षमता संरचना (एसबीआई) प्रलेख
- परिवर्तन प्रबंधन संरचना प्रलेख
- पूंजी परिकलन संरचना प्रलेख

मैनुअल

- परिचालन जोखिम प्रबंधन मैनुअल
- आंकड़ा नुकसान मैनुअल
- व्यवसाय निरंतरता आयोजना (बीसीपी) मैनुअल
- व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस)

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयां

गैर-बैंकिंग व्यावसायिक इकाइयों के लिए उनके व्यावसायिक मॉडल से संबंधित और विदेशी बैंकिंग इकाइयों के संबंध में विदेशी विनियामकों की आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां और मैनुअल विद्यमान हैं। कुछ अन्य विद्यमान नीतियाँ हैं- आपदा पुनरुत्थान योजना/व्यवसाय निरंतरता योजना, दुर्घटना रिपोर्टिंग तंत्र, निअर मिस इवेंट्स रिपोर्टिंग तंत्र, आउटसोर्सिंग नीति आदि।

ग. कार्यनीतियां और प्रक्रियाएं

देशीय बैंकिंग संस्थाएँ (भारतीय स्टेट बैंक एवं सहयोगी बैंक)

उन्नत मापन पद्धति (समानांतर रन)

- जोखिम संस्कृति और परिचालन जोखिम प्रबंधन को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के अतिरिक्त मंडलों में विभिन्न स्तरों पर आरएमसीएओ, आरएमसीसी और जोखिम प्रबंधन समिति तथा व्यवसाय एवं सहयोग समूह (आरएनसी-एनबीजी, आरएमसी-आईबीजी, आरएमसी-जीएमयू, आरएमसी-सीबीजी, आरएमसी-एमसीजी, आरएमसी-एसएएमजी एवं आरएमसी-आईटी) विद्यमान हैं।
- परिचालन जोखिमों से आंतरिक एवं बाह्य नुकसान के लिए एक व्यापक डेटा आधार बासेल निर्धारित 8 व्यवसाय लाइन और 7 प्रकार के नुकसान के लिए तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यह एएमए प्रक्रिया का एक भाग है। शाखाओं, संसाधन केंद्रों और कार्यालयों से नुकसान डेटा, जिसमें नुकसान होते-होते बची घटनाओं का डेटा भी शामिल है, मंगाने के लिए एक्सेल आधारित प्रारूप (टेंप्लेट) तैयार किया गया है, ताकि जोखिम प्रबंधन बेहतर हो सके।
- जोखिम और नियंत्रण स्व-निर्धारण कार्य को कार्यशालाओं के माध्यम से करने के लिए एक्सेल आधारित टेंप्लेट प्रारंभ किया गया है, जिसमें निहित जोखिम तथा अवशिष्ट जोखिम जानने, वर्तमान नियंत्रण परिवेश की प्रभाविता जानने और मूल्यांकित करने और जोखिम स्तरों के वर्णन के लिए हीट मैप्स का प्रावधान है। वर्ष के दौरान लगभग 2035 शाखाओं/संसाधन केंद्रों ने आरसीएसए कवायद में हिस्सा लिया। आरसीएसए कवायद से सामने आई शीर्ष जोखिमों को कम करने की योजना पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है।
- संपूर्ण व्यवसाय और समूहों के लिए प्रमुख जोखिम संकेतक प्रारंभिक और निगरानी तंत्र के साथ चयनित किए गए हैं। जोखिम प्रबंधन समिति, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति इन संकेतकों पर नजर रखती है।
- बैंक समय-समय पर एएमए प्रयोग परीक्षण भी करते हैं।
- परिचालन जोखिम की गणना और निगरानी के लिए बेसल II में निर्धारित उन्नत मापन पद्धति (एएमए) के अंतर्गत आवश्यक आंतरिक प्रणालियाँ भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में विद्यमान है।
- उन्नत मापन पद्धति (एएमए) पर माइग्रेट करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन दे चुका है तथा सहयोगी बैंकों ने आशय पत्र दिए हैं।

अन्य

देशीय बैंकिंग संस्थाओं में परिचालन जोखिम प्रबंधन नियंत्रित और कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं -

- बैंक द्वारा "अनुदेशावलियाँ" (सामान्य अनुदेश मैनुअल, ऋण एवं अग्रिम मैनुअल) जारी की गई हैं, जिनमें बैंकिंग के विभिन्न प्रकार के लेनदेन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में किए गए संशोधन और आशोधन सभी कार्यालयों को परिपत्र भेजकर कार्यान्वित किए जाते हैं। दिशा-निर्देशों और अनुदेश जॉब कार्डों, ई-परिपत्रों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भी प्रसारित किए गए हैं।
- व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर) इकाइयों से संबंधित मैनुअल और परिचालन अनुदेश।
- वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन, जिसमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेनदेनों के लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के संस्वीकृति अधिकारों का ब्योरा दिया गया है।
- स्टाफ प्रशिक्षण- बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों और ज्ञानार्जन केंद्रों में विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जोखिम प्रबंधन माड्यूलों के हिस्से के रूप में परिचालन जोखिम की जानकारी शामिल की गई है।
- धोखाधड़ियों से इतर संभावित परिचालन जोखिम वाले अधिकांश मामलों के लिए बैंक द्वारा बीमा कराया गया है।
- आंतरिक लेखा-परीक्षक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता की जांच एवं मूल्यांकन तथा प्रभावकारिता और कतिपय नियंत्रण कार्यविधियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी हैं। वे स्थापित प्रणालियों की समीक्षा भी करते हैं, जिससे विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं, आचार संहिता और नीतियों एवं कार्यविधियों के कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
- किसी भी आपदा के बाद व्यवसाय निरंतरता तथा महत्वपूर्ण कार्य प्रक्रियाओं को दुबारा प्रारंभ करने के लिए एक सुदृढ़ व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन नीति और मैनुअल भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में विद्यमान है।

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग संस्थाएँ

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग संस्थाओं में प्रणालियों एवं कार्यविधियों और रिपोर्टिंग के रूप में पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

घ. जोखिम रिपोर्टिंग एवं मापन प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

- धोखाधड़ी पर रिपोर्टों के शीघ्र प्रेषण की प्रणाली समूह की सभी संस्थाओं में विद्यमान है।
- निवारक सतर्कता की व्यापक प्रणाली समूह की सभी संस्थाओं में स्थापित की गई है।
- आरसीएसए से सामने आई महत्वपूर्ण जोखिमों और डेटा लॉस के बारे में शीर्ष प्रबंधन को नियमित रूप से सूचित किया जाता है।
- 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन जोखिम हेतु पिछले 3 वर्षों की औसत सकल आय के 15% के पूंजी प्रभार के साथ मूल संकेतक पद्धति अपनायी गई है। बीमा कंपनियाँ इसका अपवाद हैं।

डीएफ-9 : बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

1. गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम :

आंतरिक एवं बाह्य कारणों से बैंक की ब्याज दर में होने वाले उतार-चढ़ाव से निवल ब्याज आय तथा आस्तियों एवं देयताओं के मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ब्याज दर जोखिम कहा जाता है। आंतरिक कारणों में बैंक की आस्तियों एवं देयताओं की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, ब्याज दर तथा जमाराशियों, उधार, ऋणों एवं निवेशों की पुनर्मूल्यन अवधि शामिल है। बाह्य कारणों के अंतर्गत सामान्य आर्थिक स्थितियाँ आती हैं। बढ़ती अथवा घटती ब्याज दरों का बैंक पर प्रभाव इस तथ्य पर निर्भर करता है कि तुलन-पत्र आस्ति संवेदी है या देयता संवेदी।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तुलन-पत्र जोखिमों की अनवरत पहचान एवं विश्लेषण तथा बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन नीति के जरिए इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए मापदंड निर्धारित करने हेतु उपयुक्त प्रणालियाँ एवं कार्यविधियाँ तैयार करने के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति जिम्मेदार है। अतः आस्ति देयता प्रबंधन समिति जोखिमों एवं प्रतिलाभों, निधीयन एवं विनियोजन, बैंक के ऋण एवं जमाराशि दरों के निर्धारण तथा बैंक की निवेश संबंधी गतिविधियों के संबंध में निदेश देने आदि की निगरानी एवं नियंत्रण करती है। निर्दिष्ट प्रकार के जोखिमों (उदाहरण के लिए ब्याज दर, चलनिधि आदि) के लिए निवेश के स्वीकृत स्तर निर्धारित कर आस्ति देयता प्रबंधन समिति बाजार जोखिम कार्यनीति भी विकसित करती है। निदेशक बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति आस्ति देयता प्रबंधन के लिए प्रणाली के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है और आवधिक तौर पर उसकी कार्यपद्धति की समीक्षा करती है तथा दिशानिर्देश देती है। यह बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु आस्ति देयता प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों की समीक्षा करती है।

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिये ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों और देयताओं दोनों में ब्याज दर में एक समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।

1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अवधि अंतर विश्लेषण के अधीन ब्याज दर संवेदनशीलता के जरिए बैंक की आस्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। बाजार ब्याज दर में हुए परिवर्तनों को देखते हुए आस्ति एवं देयताओं के मूल्य में हुए परिवर्तनों को अभिनिर्धारित करते हुए अवधि अंतर विश्लेषण के माध्यम से ईक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तनों के प्रभाव की निगरानी की जाती है। ईक्विटी के मूल्य में (आरक्षितियों सहित) और आस्ति एवं देयताओं की ब्याज दर में 2% समान अंतर के बीच परिवर्तन का अनुमान है।

1.3 विभिन्न ब्याज जोखिमों की निगरानी के लिए निम्नलिखित विवेकपूर्ण सीमाओं का निर्धारण किया गया है:

बाजार दर अस्थिरता के कारण परिवर्तन	अधिकतम प्रभाव (पूँजी एवं आरक्षितियों के प्रतिशत के रूप में)
निवल ब्याज आय में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं दोनों के लिए ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ)	5%
ईक्विटी के बाजार मूल्य में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं के लिए ब्याज दरों में 2% परिवर्तन के साथ)-केवल बैंकिंग बहियां	20%

1.4 बाजार जोखिम के कारण समग्र प्रतिकूल प्रभाव को पूँजी एवं आरक्षितियों की 20% की सीमा तक सीमित करना विवेकपूर्ण सीमा का उद्देश्य है, जबकि शेष पूँजी एवं आरक्षितियाँ ऋण एवं परिचालन जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है।

2. परिमाणात्मक प्रकटीकरण (स्टेट बैंक समूह) (मार्च 2016)

जोखिम पर अर्जन (ईएआर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल ब्याज आय पर प्रभाव
आस्ति और देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 100 आधार अंकों के अंतर का निवल ब्याज आय पर प्रभाव	7472.10

ईक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीई)

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल ब्याज आय पर प्रभाव
आस्तियों और देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 200 आधार अंकों के अंतर का ईक्विटी बाजार मूल्य (एमवीई) पर प्रभाव	13762.16
आस्तियों और देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 100 आधार अंकों के अंतर का ईक्विटी बाजार मूल्य (एमवीई) पर प्रभाव	6881.08

डीएफ-10 : काउंटरपार्टी ऋण जोखिम एक्सपोजर का सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

किसी लेनदेन के नकदी प्रवाह के पूर्ण समाधान से पूर्व उससे व्युत्पन्न लेनदेन की काउंटरपार्टी की चूक से उत्पन्न जोखिम काउंटरपार्टी ऋण जोखिम कही जाती है। इस जोखिम को कम करने के लिए डेरीवेटिव लेनदेन केवल उन्हीं काउंटरपार्टियों के साथ किए जाते हैं, जिन्हें ऋण सीमाएँ अनुमोदित की गई हैं। बैंकों की काउंटरपार्टी सीमा का आकलन अनेक वित्तीय मापदंडों जैसे नेटवर्थ, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, रेटिंग आदि को ध्यान में रखकर आंतरिक मॉडलों का उपयोग करके किया गया है। कारपोरेटों की डेरीवेटिव लिमिट का आकलन और संस्वीकृति नियमित मूल्यांकन के हिस्से के रूप में नियमित क्रेडिट लिमिट के साथ की गई है।

बैंक ने ऐसे किसी बैंक के साथ कोई कोलेट्रल करार (ऋण सहायता सहित या समतुल्य) नहीं किया है, जिसके लिए कोलेट्रल रखना आवश्यक हो। बैंक द्विपक्षीय निवलीकरण को नहीं मानता है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	आनुमानिक	वर्तमान ऋण राशि
क) ब्याज दर विनिमय	95778.88	1931.00
ख) करेंसी विनिमय	20560.57	754.81
ग) करेंसी विकल्प	5806.16	57.24
घ) विदेशी मुद्रा संविदाएँ	393344.11	4339.51
ङ) करेंसी वायदा	0.00	0.00
च) वायदा दर करार	19.88	0.01
छ) अन्य (विदेशी विनिमय)	0.00	0.00
योग	**515509.60**	**7082.57**
ऋण व्युत्पन्न लेनदेन	निरंक	

डीएफ-11: पूंजी के घटक

बेसल III सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप जो विनियामक समायोजन के दौरान (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक) प्रयोग में लाया जाना है)		राशियों की गणना बेसल III पूर्व के मानदंडों के अनुसार की जाए	संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
साझा ईक्विटी टियर I पूंजी (सीईटी 1): इंस्ट्रूमेंट और रिज़र्व			
1	सीधे जारी की गई अर्हता-प्राप्त शेयर पूंजी और संबंधित स्टॉक सरप्लस (शेयर प्रीमियम)	50545.76	ए1+बी3
2	प्रतिधारित उपार्जन	115616.69	B1+B2+B7 9#) +B8
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य रिज़र्व)	5726.41	B5*75%+B6*45%
4	सीधे जारी की गई पूंजी जो सीईटी 1 से फेज आउट के अध्यधीन होगी (केवल गैर-संयुक्त पूंजी कंपनियों पर ही लागू)		
	1 जनवरी, 2018 तक छूट प्राप्त सरकारी क्षेत्र पूंजी अंत:क्षेपण		
5	अनुषंगियों द्वारा जारी साझा शेयर पूंजी और अन्य पक्षों द्वारा धारित (राशि ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत)	3613.55	
6	विनियामक समायोजनों के पूर्व साझा ईक्विटी टियर I पूंजी	175502.41	
विनियामक समायोजनों के पूर्व साझा ईक्विटी टियर I पूंजी			
7	विवेकपूर्ण मूल्य समायोजन	756.18	189.04	D*80
8	गुडविल (संबंधित कर देयता घटाकर)	1824.95	456.24	
9	बंधक की पूर्ति के अधिकार से इतर अमूर्त (संबंधित कर देयता घटाकर)	57.40		
10	आस्थगित कर आस्तियाँ			
11	कैश फ्लो हेज रिज़र्व			
12	संभावित हानियों की तुलना में प्रावधानों के लिए रखी गई पूंजी में कमी			
13	बिक्री पर प्रतिभूतीकरण लाभ			
14	उचित मूल्य देयताओं में स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ व हानि			
15	नियत लाभ पेंशन फंड निवल आस्तियाँ			
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में प्रदत्त पूंजी में से पहले कम न किए गए हों तो)	202.61	37.70	
17	साझा ईक्विटी में पारस्परिक प्रति-धारिताएँ	134.09	33.47	
18	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर हैं और जहाँ पात्र अधिविक्रय को घटाने के बाद जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0.00		
19	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर हैं (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0.00		
20	बंधक चुकौती अधिकार (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)			
21	अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियाँ (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि संबंधित कर देयता को घटाने के बाद)	0		

बेसल III सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप जो विनियामक समायोजन के दौरान (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक) प्रयोग में लाया जाना है)			राशियों की गणना बेसल III पूर्व के मानदंडों के अनुसार की जाए	संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
22	15% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	0		
23	जिसमें : वित्तीय संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़ी राशि का निवेश			
24	जिसमें : बंधक शोधन अधिकार			
25	जिसमें : अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियाँ			
26	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ)	1098.00	274.50	
26क	जिसमें : असमेकित बीमा अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	1077.44	269.36	
26ख	जिसमें : असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश			
26ग	जिसमें : आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की ईक्विटी पूंजी में कमी, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई है			
26घ	जिसमें : अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	20.56	5.14	
	बेसल III से पूर्व के मानदंडों के आधार पर निकाली गई राशियों के लिए साझा टियर 1 ईक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन			
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें] उदाहरण के लिए : एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर वसूल न की गई हानियों में से निकाली गई राशि (भारतीय परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं)			
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें]			
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें]			
27	कटौतियाँ करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर I और टियर II के कारण साझा टियर I ईक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन			
28	साझा टियर I ईक्विटी में कुल विनियामक समायोजन	4073.23		
29	साझा ईक्विटी टियर I पूंजी (सीईटी 1)	171429.18		
अतिरिक्त टियर I पूंजी (एटी 1) : लिखत				
30	सीधे जारी किए गए अर्हता-प्राप्त अतिरिक्त टियर I लिखत और संबंधित स्टॉक आधिक्य (31+32)			
31	जिसमें : लागू लेखा मानकों के तहत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)			
32	जिसमें : लागू लेखा मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)			
33	अतिरिक्त टियर I में से कम होने वाले सीधे जारी किए गए पूंजीगत लिखत	3031.58		
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टियर I लिखत (और सीईटी 1 लिखत, जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं किए गए हैं) (राशि ग्रुप एटी 1 में अनुमत)	1547.51		
35	जिसमें : अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत, जो कम होने वाले हैं	1047.00		
36	विनियामक समायोजनों के पूर्व अतिरिक्त टियर I पूंजी	4579.09		
अतिरिक्त टियर I पूंजी (एटी 1) : विनियामक समायोजन				
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर I लिखतों में निवेश			
38	अतिरिक्त टियर I लिखतों में पारस्परिक प्रति-धारिताएँ	239.84	59.96	

स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित) 31.03.2016 को

	बेसल III सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप जो विनियामक समायोजन के दौरान (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक) प्रयोग में लाया जाना है)	राशियों की गणना बेसल III पूर्व के मानदंडों के अनुसार की जाए	संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
39	विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर की बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को घटाने के बाद, जहाँ जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
40	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर है (पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को छोड़कर)		
41	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (41क+41ख)		
41क	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर I पूंजी में निवेश		
41ख	आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की, जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया है, अतिरिक्त टियर I पूंजी में कमी		
	बेसल III से पूर्व के मानदंडों के आधार पर निकाली गई राशियों पर अतिरिक्त टियर I ईक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन	788.77	
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें, जैसे - डीटीए]		
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें। जैसे - मौजूदा समायोजन जिनके द्वारा टियर I में से 50% की कटौती की गई है]		
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें]		
42	कटौतियाँ करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर II के कारण साझा टियर I ईक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन		
43	अतिरिक्त टियर I पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	1028.61	
44	अतिरिक्त टियर I पूंजी (एटी1)	3550.48	
44क	अतिरिक्त टियर II पूंजी (एटी1)		
	जिसे पूंजी पर्याप्तता में शामिल किया गया है	3550.48	
45	टियर II पूंजी (टी 1 = सीईटी 1 + एटी 1) [29+44 क]	174979.66	
टियर II पूंजी : लिखत और प्रावधान			
46	सीधे जारी किए गए अर्हता-प्राप्त अतिरिक्त टियर II लिखत और संबंधित स्टॉक आधिक्य	12500.00	
47	सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत, जो टियर II से कम होने वाले हैं	18962.16	
48	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित टियर II लिखत (और सीईटी 1 और एटी 1 लिखत, जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं किए गए) (टियर II समूह में अनुमत राशि)	7763.15	
49	जिसमें : अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत, जो कम होने वाले हैं		
50	प्रावधान	15029.06	
51	विनियामक समायोजनों के पूर्व टियर II पूंजी	54254.37	
टियर II पूंजी : विनियामक समायोजन			
52	स्वयं के टियर II लिखतों में निवेश	79.21	
53	टियर II लिखतों में पारस्परिक प्रति-धारिताएँ	6.14	

बेसल III सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप जो विनियामक समायोजन के दौरान (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक) प्रयोग में लाया जाना है)		राशियों की गणना बेसल III पूर्व के मानदंडों के अनुसार की जाए		संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
54	विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर की बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को घटाने के बाद, जहाँ जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)			
55	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर है (पात्र अधिविक्रयों की स्थितियों को छोड़कर)			
56	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (56क+56ख)			
56क	जिसमें : असमेकित बीमा अनुषंगियों की टियर II पूंजी में निवेश			
56ख	जिसमें : आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई है, टियर II पूंजी में कमी			
	बेसल III से पूर्व के मानदंडों के आधार पर निकाली गई राशियों पर साझा टियर I इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन	134.68	0	
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें। जैसे - मौजूदा समायोजन, जिनमें टियर II में से 50% की कटौती की गई है]			
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें]			
57	टियर II पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	220.03		
58	टियर II पूंजी (टी 2)	54034.34		
58क	पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना की गई टियर II पूंजी	54034.34		
58ख	अतिरिक्त टियर I पूंजी, जिसकी गणना टियर II पूंजी के रूप में की गई है	0		
58ग	पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर II पूंजी [58क +58ख]	54034.34		
59	कुल पूंजी (टीसी = टी 1 + टी 2) [45 +58ग]	229014.00		
	बेसल III से पूर्व के मानदंडों के आधार पर निकाली गई राशियों से संबंधित जोखिम भारित आस्तियाँ			
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें]			
	जिसमें :			
60	कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (60क+60ख+60ग)	1772683.61		
60क	जिसमें : कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियाँ	1466117.50		
60ख	जिसमें : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियाँ	140698.95		
60ग	जिसमें : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियाँ	165867.16		
पूंजी अनुपात				
61	साझा ईक्विटी टियर I (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.67%		
62	टियर I (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.87%		
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.92%		
64	संस्था विशेष सुरक्षित पूंजी आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता और पूंजी संरक्षण तथा प्रतिचक्रीय सुरक्षित पूंजी आवश्यकता, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त)	6.125%		
65	जिसमें : पूंजी संरक्षण सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0.625%		

स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित) 31.03.2016 को

बेसल III सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप जो विनियामक समायोजन के दौरान (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक) प्रयोग में लाया जाना है)		राशियों की गणना बेसल III पूर्व के मानदंडों के अनुसार की जाए	संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2 के संबंध में)
66	जिसमें : बैंक विशेष की प्रतिचक्रीय सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0%	
67	जिसमें : जी-एसआईबी सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0%	
68	सुरक्षित पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपलब्ध साझा टियर I ईक्विटी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल III से भिन्न हो)			
69	राष्ट्रीय साझा ईक्विटी टियर I न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	5.50%	
70	राष्ट्रीय टियर I न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	7.00%	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	9.00%	
कटौती के लिए प्रारंभिक सीमा से कम राशियाँ (जोखिम भार के पूर्व)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में छोटी राशि के निवेश		
73	वित्तीय संस्थाओं के साझा स्टॉक में बड़ी राशि के निवेश	514.51	
74	बंधक शोधन अधिकार (संबंधित कर देयता घटाकर)		
75	अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता घटाकर)	1123.86	
टियर 2 में प्रावधान शामिल करने पर लागू उच्चतम सीमाएं			
76	मानकीकृत पद्धति के आधार पर निकाली गई जोखिम राशियों को टियर II में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने से पहले)	15029.06	
77	मानकीकृत पद्धति के आधार पर टियर II में प्रावधान शामिल करने की उच्चतम सीमा	18326.47	
78	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण पद्धति के अधीन ऋण जोखिमों को टियर II में शामिल करने से संबंधित पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने के पूर्व)	0	
79	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण पद्धति के अधीन टियर II के प्रावधान शामिल करने की उच्चतम सीमा	0	
पूंजी लिखत, जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन हैं (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू)			
80	सीईटी 1 लिखतों की उच्चतम सीमा, जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन है		
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)		
82	एटी 1 लिखतों की वर्तमान उच्चतम सीमा, जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन हैं		
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)		
84	टी 2 लिखतों की उच्चतम सीमा, जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन है		
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)		

*बी 6 आय और अन्य रिजर्व एकीकरण और विकास निधि (₹ 5 करोड़) को घटाकर निकाले गए हैं

डीएफ-12: पूंजी घटक - समाधान संबंधी अपेक्षाएँ

31.03.2016 को स्टेट बैंक समूह का समेकित तुलन पत्र, बेसल III के अनुसार

चरण-1

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र रिपोर्टिंग की तारीख को	समेकन की विनियामक परिधि में तुलन पत्र रिपोर्टिंग की तारीख को
क	**पूंजी और देयताएं**		
I	**प्रदत्त पूंजी**	776.28	776.28
	आरक्षितियाँ और अधिशेष	179,816.08	174,876.78
	आधे से कम हित	6,267.40	4,845.05
	कुल पूंजी	**186,859.76**	**180,498.11**
ii	**जमाराशियाँ**	**2,253,857.57**	**2,254,956.55**
	जिनमें : बैंकों से जमाराशियाँ	15,823.17	15,823.17
	जिनमें : ग्राहकों से जमाराशियाँ	2,238,034.40	2,239,133.38
	जिनमें : अन्य जमाराशियाँ (कृपया स्पष्ट करें)		
iii	**उधार**	**2,58,214.39**	**258,279.24**
	जिनमें : भारतीय रिज़र्व बैंक से	3,391.79	3,391.79
	जिनमें : बैंकों से	143,753.48	143,753.48
	जिनमें : अन्य संस्थानों और एजेंसियों से	49,142.28	49,136.96
	जिनमें : अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	-	-
	जिनमें : पूंजीगत लिखत	61,926.84	61,997.01
iv	**अन्य देयताएँ और प्रावधान**	**271,965.92**	**190,496.27**
	कुल	**2,970,897.64**	**2,884,230.17**
ख	**आस्तियाँ**		
i	**नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाशेष**	**160,424.57**	**160,176.83**
	बैंकों के पास जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	43,734.90	41474.78
ii	**निवेश**	**705,189.08**	**625,327.19**
	जिनमें : सरकारी प्रतिभूतियाँ	544,582.10	510,062.11
	जिनमें : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	3,759.81	0.13
	जिनमें : शेयर	23,509.71	5,350.30
	जिनमें : डिबेंचर और बांड	89,080.26	73,190.28
	जिनमें : अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम/सहयोगी	2,547.34	1,963.99
	जिनमें : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि)	41,709.86	34,760.38
iii	**ऋण और अग्रिम**	**1,870,260.89**	**1,870,136.85**
	जिनमें : बैंकों को ऋण और अग्रिम	74,292.49	74292.49
	जिनमें : ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1,795,968.40	1,795,844.36
iv	**अचल आस्तियाँ**	**15,255.68**	**14,709.06**
v	**अन्य आस्तियाँ**	**175,087.30**	**171,460.24**
	जिनमें : गुडविल और अमूर्त आस्तियाँ	2,281.19	2,281.19
	जिनमें : आस्थगित कर आस्तियाँ	1,161.66	1,154.32
vi	**समेकन पर गुडविल**	**945.22**	**945.22**
vii	**लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष**	**-**	**-**
	कुल आस्तियाँ	**2,970,897.64**	**2,884,230.17**

स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित) 31.03.2016 को

चरण-2

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र	समेकन की विनियामक परिधि में तुलन पत्र	संदर्भ क्रमांक
		रिपोर्टिंग की तारीख को	रिपोर्टिंग की तारीख को	
क	**पूंजी और देयताएँ**			
i	**प्रदत्त पूंजी**	776.28	776.28	ए
	जिनमें : सीईटी1 के लिए पात्र राशि	776.28	776.28	ए1
	जिनमें : एटी1 के लिए पात्र राशि	.	.	ए2
	आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	179,816.08	174,876.78	बी
	जिनमें : सांविधिक आरक्षित निधि	61,499.16	61,499.16	बी1
	जिनमें : पूंजीगत आरक्षित निधि	3,354.19	3,352.59	बी2
	जिनमें : शेयर प्रीमियम	49,769.48	49,769.48	बी3
	जिनमें : निवेश आरक्षित निधि	1,300.79	1,300.79	बी4
	जिनमें : विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि	6,813.63	6,810.79	बी5
	जिनमें : पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि	1,374.03	1,374.03	बी6
	जिनमें : आय और अन्य आरक्षित निधि	52,424.97	49,895.28	बी7
	जिनमें : लाभ और हानि खाते में शेष	3,279.83	874.66	बी8
	आधे से कम हिस्सेदारी	6,267.40	4,845.05	
	कुल पूंजी	**186,859.76**	**180,498.11**	
ii	**जमाराशियाँ**	**2,253,857.57**	**2,254,956.55**	
	जिनमें : बैंकों से जमाराशियाँ	15,823.17	15,823.17	
	जिनमें : ग्राहक से जमाराशियाँ	2,238,034.40	2,239,133.38	
	जिनमें : अन्य जमाराशियाँ	-	-	
iii	**उधार**	**258,214.39**	**258,279.24**	
	जिनमें : भारतीय रिज़र्व बैंक से	3,391.79	3,391.79	
	जिनमें : बैंकों से	143,753.48	143,753.48	
	जिनमें : अन्य संस्थानों और एजेंसियों से	49,142.28	49,136.96	
	जिनमें : अन्य (कृपया स्पष्ट उल्लेख करें)	-	-	
	जिनमें : पूंजीगत लिखत	61,926.84	61,997.01	
iv	**अन्य देयताएँ और प्रावधान**	**271,965.92**	**190,496.27**	
	जिनमें : गुडविल से संबंधित डीटीएल	-	-	
	जिनमें : अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल	-	-	
	कुल	**2,970,897.64**	**2,884,230.17**	
ख	**आस्तियाँ**			
i	**नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाशेष**	**160,424.57**	**160,176.83**	
	बैंकों के पास जमाशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	**43,734.90**	**41,474.78**	
ii	**निवेश**	**705,189.08**	**625,327.19**	
	जिनमें : सरकारी प्रतिभूतियाँ	544,582.10	510,062.11	
	जिनमें : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	3,759.81	0.13	
	जिनमें : शेयर	23,509.71	5,350.30	
	जिनमें : डिबेंचर और बांड	89,080.26	73,190.28	
	जिनमें : अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम /सहयोगी	2,547.34	1,963.99	
	जिनमें : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि	41,709.86	34,760.38	
iii	**ऋण और अग्रिम**	**1,870,260.89**	**1,870,136.85**	
	जिनमें : बैंकों को ऋण और अग्रिम	74,292.49	74,292.49	
	जिनमें : ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1,795,968.40	1,795,844.36	
iv	**अचल आस्तियाँ**	**15,255.68**	**14,709.06**	
v	**अन्य आस्तियाँ**	**175,087.30**	**171,460.24**	
	जिनमें : गुडविल	-	-	
	जिनमें : अन्य अमूर्त आस्तियाँ (एमएसआर को छोड़कर)	2,281.19	2,281.19	
	जिनमें : आस्थगित कर आस्तियाँ	1,161.66	1,154.32	सी
vi	**समेकन पर गुडविल**	**945.22**	**945.22**	डी
vii	**लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष**	**-**	**-**	
	कुल आस्तियाँ	**2,970,897.64**	**2,884,230.17**	

चरण 3

(₹ करोड़ में)

साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) : लिखत एवं आरक्षित निधियाँ

		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी का घटक	संदर्भ क्र. (डीएफ-12 : चरण 2 के संबंध में)
1	सीधे जारी की गई अर्हता-प्राप्त साझा शेयर पूंजी (और गैर स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) और संबंधित स्टॉक अधिशेष	50545.76	A1+B3
2	प्रतिधारित उपार्जन	115616.69	B1+B2+B7 (#)+B8
3	संचित अन्य व्यापक आय (अन्य कोई भी रिज़र्व)	5726.41	
4	सीधे जारी की गई पूंजी जो सीईटी 1 से हटने वाली है (केवल गैर-संयुक्त पूंजी कंपनियों पर ही लागू)	0	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित साझा शेयर पूंजी (समूह की सीईटी 1 में अनुमत राशि)	3613.55	
6	विनियामक समायोजनों के पूर्व साझा ईक्विटी टियर I पूंजी	175502.41	
7	विवेकपूर्ण मूल्य समायोजन	0	
8	गुडविल (संबंधित कर देयता घटाकर)	756.18	D*80%

* बी7 : आय और अन्य आरक्षित निधियाँ एकीकरण और विकास निधि (₹ 5 करोड़) को घटाकर दिखाई गई हैं

डीएफ 16-ईक्विटी: बैंकिंग बही स्थिति के संबंध में प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. ईक्विटी जोखिम से संबंधित सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण में ये भी शामिल हैं:

■ ऐसी धारिताएं, जिनसे पूंजीगत लाभ होने की संभावना है और संबंध एवं कार्यनीतिक कारणों सहित अन्य उद्देश्यों के अंतर्गत ली गई धारिताओं के बीच अंतर	सहयोगियों, अनुषंगियों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में परिपक्वता तक रखी गई (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत सभी ईक्विटी निवेश (देशीय) किए जाते हैं। ये कार्यनीतिक स्वभाव के होते हैं।
■ बैंकिंग बहियों में ईक्विटी धारिता के मूल्यन एवं लेखांकन संबंधी प्रमुख नीतियों में चर्चा। इसमें इन सभी प्रथाओं के महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रमुख धारणाओं एवं प्रथाओं को प्रभावित करने वाले मूल्यन सहित प्रयुक्त लेखांकन तकनीक एवं मूल्यन पद्धतियां शामिल हैं।	एचटीएम प्रतिभूतियों के लेखांकन एवं मूल्यन के संबंध में बैंक के वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट की अनुसूची 17-सी-1 पैरा 1.3 एवं सी-2 पैरा 2.3 में बताए गए अनुसार।

स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित) 31.03.2016 को

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2016 को गुणात्मक प्रकटीकरण		
1.	तुलनपत्र में सूचित निवेशों का मूल्य तथा उन निवेशों का वास्तविक मूल्य; उद्धृत प्रतिभूतियों के लिए सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर मूल्यों की तुलना जहां शेयर का मूल्य वास्तविक मूल्य से काफी अलग है।	1316.53
2.	निवेशों के प्रकार, साथ ही राशि जिसे इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: - सार्वजनिक रूप से ट्रेडेड - निजी रूप से धारित	 3424.25 7988.93
3.	संदर्भाधीन अवधि के दौरान बिक्री एवं परिसमापन से प्राप्त संचयी लाभ (हानियां)	3.16
4.	न वसूल किया गया लाभ (हानि)	40.33
5.	कुल नवीनतम पुनर्मूल्यन लाभ (हानि)	0.66
6.	टियर I तथा/अथवा टियर II पूंजी सम्मिलित उपर्युक्त अन्य कोई भी राशि	0.35
7.	बैंक की पद्धति के अनुरूप उपयुक्त ईक्विटी समूहन द्वारा खंडित पूंजी, समग्र राशियां एवं उन ईक्विटी निवेशों का प्रकार, जो किसी पर्यवेक्षण अंतरण अथवा विनियामक पूंजी आवश्यकताओं से संबंधित ग्रांडफादरिंग प्रावधानों के अधीन होते हैं।	15.24

तालिका डीएफ-17: लेखा आस्तियों बनाम लीवरेज अनुपात एक्पोजर के मापन की तुलना का सार

31 मार्च 2016 को लीवरेज विवरणी

भारतीय स्टेट बैंक (समूह)

डीएफ-17- लेखा आस्तियों बनाम लीवरेज अनुपात एक्पोजर के मापन की तुलना का सार

	मद	**रुपए (मिलियन में)**
1.	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	29708976.40
2.	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेश के लिए समायोजन जिनका लेखांकन प्रयोजन से समेकित किया जाता है, परंतु इसे विनियामक समेकन की परिधि से बाहर किया जाता है	-866674.50
3.	परिचालन लेखांकन ढांचे के परिणामस्वरूप तुलनपत्र में हिसाब में ली गई काल्पनिक आस्तियों के लिए समायोजन, पर इन्हें लीवरेज अनुपात एक्सपोजर में शामिल नहीं किया जाता है।	0
4.	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	149,596.77
5.	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (अर्थात् रेपो एवं इसी प्रकार के प्रतिभूतिकृत ऋण) के लिए समायोजन	995813.60
6.	तुलनपत्र इतर मदों (अर्थात् तुलनपत्र इतर निवेशों के ऋण बराबर राशियों में अंतरण) के लिए समायोजन	3467274.73
7.	अन्य समायोजन	-51018.36
8.	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	33403968.54

तालिका डीएफ-18: 31 मार्च 2016 को लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकण प्रारूप

	डीएफ-18: लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकण प्रारूप	(₹ मिलियन में)
	मद	
	तुलनपत्र निवेशों पर	
1	तुलनपत्र मदों पर (व्युत्पन्न एवं एसएफटी को छोड़कर परंतु संपार्श्विक को मिलाकर)	28842301.80
2	(बेसल III, टियर I की पंजी के निर्धारण में घटाई गई आस्ति राशियां)	-51018.36
3	**कुल तुलनपत्र निवेश (व्युत्पन्न एवं एसएफटी को छोड़कर) (लाइन 1 एवं 2 का योग)**	**28791283.44**
	व्युत्पन्न निवेश	
4	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों से संबंधित रिप्लेसमेंट लागत (अर्थात् पात्र नकद अंतर मार्जिन का निवल)	58,540.73
5	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों से संबंधित पीएफई के लिए एड-ऑन राशियां	91,056.04
6	दिए गए व्युत्पन्न संपार्श्विक जहां परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुरूप तुलनपत्र आस्तियों से घटाया गया, का कुल	0
7	(व्युत्पन्न लेनदेनों में दिए गए नकद अंतर मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों से कटौती)	0
8	(क्लाइंट क्लियर्ड ट्रेड एक्सपोजर के छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	0
9	लिखित ऋण व्युत्पन्न की समायोजित प्रभावी काल्पनिक राशि	0
10	(लिखित ऋण व्युत्पन्नों के लिए समायोजित प्रभावी काल्पनिक ऑफसेट एवं एड-ऑन कटौतियां)	0
11	**कुल व्युत्पन्न निवेश (लाइन 4 से 10 का योग)**	**149,596.77**
	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन निवेश	
12	विक्रय लेखांकन लेनदेनों के लिए समायोजन करने के बाद सकल एसएफटी आस्तियां (निवल को हिसाब में लिए बिना)	995813.60
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के देय नकद एवं प्राप्य नकद की निवल राशि)	0
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर निवेश	0
15	एजेंट लेनदेन निवेश	0
16	कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन निवेश (लाइन 12 से 15 का योग)	995813.60
	अन्य तुलनपत्र इतर निवेश	
17	सकल काल्पनिक राशि पर तुलनपत्र इतर निवेश	9266142.40
18	(ऋण बराबर राशियों में बदलने के लिए समायोजन)	-5798867.67
19	**तुलनपत्र इतर मदें (लाइन 17 एवं 18 का योग)**	**3467274.73**
	पूंजी एवं कुल निवेश	
20	**टियर I श्रेणी की पूंजी**	**1749796.56**
21	**कुल निवेश (लाइन 3, 11, 16 एवं 19 का योग)**	**33,403,968.54**
	लीवरेज अनुपात	
22	**बेसल III लीवरेज अनुपात**	**5.24**

स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित) 31.03.2016 को

तालिका डीएफ-जीआर: 31 मार्च 2016 को समूह जोखिम पर अतिरिक्त प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	
समूह की संस्थाओं के संबंध में (विदेश स्थित बैंकिंग संस्थाएं, देशीय बैंकिंग एवं गैर-बैंकिंग संस्थाएं)	
निम्नलिखित पर सामान्य प्रकटीकरण	
कारपोरेट अभिशासन प्रथाएं	कारपोरेट अभिशासन की अच्छी प्रथाएं अपनाने वाली समूह की सभी संस्थाएं
प्रकटीकरण प्रथाएं	कारपोरेट अभिशासन की अच्छी प्रथाएं अपनाने/अनुपालन करने वाली समूह की सभी संस्थाएं
अंतर समूह लेनदेनों के संबंध में स्वतंत्र नीति (आर्मस् लेंग्थ)	स्टेट बैंक समूह के भीतर सभी अंतर समूह लेनदेन स्वतंत्र नीति (आर्मस् लेंग्थ) के अनुसार किए गए हैं। यह उनकी वाणिज्यिक शर्तों एवं प्रतिभूति देने जैसे मामलों के संबंध में किए गए हैं।
सामान्य विपणन, ब्रांडिंग एवं एसबीआई के चिह्न का इस्तेमाल करना	समूह की किसी संस्था द्वारा एसबीआई के चिह्न का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं किया गया है, जिससे आम जनता को लगे कि समूह की इकाई के सामान्य विपणन, ब्रांडिंग को एसबीआई का स्पष्ट समर्थन है।
वित्तीय सहायता# यदि कोई हो तो, उसके विवरण	समूह की किसी भी संस्था ने समूह की अन्य किसी संस्था को वित्तीय सहायता न तो दिया है न ही लिया है।
समूह जोखिम प्रबंधन नीति की सभी अन्य प्रसंविदाओं का अनुपालन	समूह की संस्थाओं द्वारा समूह जोखिम प्रबंधन नीति की सभी प्रसंविदाओं का अनुपालन किया गया है।

समूह के भीतर किए गए निम्नलिखित लेनदेन मोटे तौर पर 'वित्तीय सहायता' माने गए हैं:

क) समूह में एक कंपनी से दूसरी कंपनी को पूंजी या आय का अनुपयुक्त अंतरण;

ख) समूह की इकाइयों को जिस स्वतंत्र नीति का पालन करते हुए कारोबार करना होता है, उसका उल्लंघन करना;

ग) समूह के भीतर हर कंपनी की ऋण चुकौती क्षमता, नकदी की स्थिति और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव;

घ) पूँजीगत अथवा अन्य नियामक अपेक्षाओं का पालन न करना;

ड) 'प्रति चुकौती में चूक संबंधी शर्तों' को लागू करना, जिनके अंतर्गत किसी संबद्ध कंपनी द्वारा की गई किसी वित्तीय या अन्य चूक को बैंक के अपने दायित्वों की पूर्ति में चूक माना जाता है।

*सम्मिलित कंपनियाँ

बैंकिंग - देश में स्थित	**बैंकिंग - विदेश स्थित**	**गैर-बैंकिंग**
भारतीय स्टेट बैंक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	एसबीआई कनाड़ा बैंक	एसबीआई काड्र्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	एसबीआई मारीशस लि.	एसबीआई डीएफएचआई लि.
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	कमर्शिएल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
		एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.
		एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज़ सर्विसेज़ प्रा. लि.
		एसबीआई पेमेंट सर्विसेज़ प्रा. लि.

विनियामक पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित प्रकटीकरण (डीएफ-13) और विनियामक पूंजी लिखतों से संबंधित पूर्ण निबंधन एवं शर्तों (डीएफ-14) को बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in/www.statebankofindia.com पर कॉरपोरेट अभिशासन बेसल - 3 प्रकटीकरण खण्ड लिंक के अंतर्गत अलग-अलग प्रकट किए गए हैं।

31 मार्च 2016 को ग्लोबल सिस्टेमिकली इम्पोरटेंट बैंक (G-SIBs) के निर्धारण संकेतकों से संबंधित प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट पर एक अलग लिंक http://www.sbi.co.in/portal/web/corporate-governance/g-sib-indicators के अंतर्गत अलग से प्रकट किए गए हैं।